

शैक्षिक समाचार
राजस्थान




कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा, अजमेर मण्डल, अजमेर
क्रमांक:- उनिशि/मा/अज/शैप्र/फा-61/142) दिनांक:- 05.08.2018
5/4/18

प्रधानाचार्य,
राउमावि डोडियाना
अजमेर।

विषय:- उच्च अध्ययन परीक्षा अनुमति जारी करने की अनुमति बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रेषित श्री घनश्याम व.अ. के परीक्षा स्वीकृति प्रकरण के क्रम में लेख है कि :-

सार्वजनिक परीक्षा अनुज्ञा नियम 9.7.2 (क) के अनुसार "ऐसी सभी परीक्षाओं को छोड़कर, जहां प्रायोगिक कार्य के लिए नियमित कक्षाओं में उपस्थित होना आवश्यक हो, अन्य सभी सार्वजनिक परीक्षाओं में बैठने के लिए शिक्षकों को विभागीय अधिकारियों से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।"


उप निदेशक (मा.) शिक्षा
अजमेर मण्डल, अजमेर

कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा, अजमेर मण्डल, अजमेर

क्रमांक:-उनिशि/मा/अज/शीप्र/फा-61/2112

दिनांक 21.07.15

प्रधानाध्यापक

राजकीय माध्यमिक विद्यालय

उदरासर नागौर

13
22-7-15

विषय:- उच्च अध्ययन हेतु परीक्षा स्वीकृति यावत।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 163-165 दिनांक 11.06.15

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा श्री मनोज चौधरी, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के परीक्षा स्वीकृति प्रकरणों के क्रम में लेख है कि :-
सार्वजनिक परीक्षा अनुज्ञा नियम 9.7.2 (क) के अनुसार "ऐसी सभी परीक्षाओं को छोड़कर, जहां प्रायोगिक कार्य के लिए नियमित कक्षाओं में उपस्थित होना आवश्यक हो, अन्य सभी सार्वजनिक परीक्षाओं में बैठने के लिए शिक्षकों को विभागीय अधिकारियों से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।"

अतः प्रकरण मे नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करावे।


1 उप निदेशक (मा.) शिक्षा
अजमेर मण्डल, अजमेर



कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/एफ-3/13322/परीक्षा अनुज्ञा/2020

106

दिनांक: 27.01.2020

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक
(स्कूल शिक्षा),

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)

माध्यमिक शिक्षा,

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,

विषय:- उच्च अध्ययन/पाठ्यक्रम/अतिरिक्त विषयों में अध्ययन/ सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक समकक्ष संवर्ग के अनेक कार्मिकों के उच्च अध्ययन/पाठ्यक्रम/अतिरिक्त विषयों में अध्ययन/सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा के संबंध में प्रकरण निदेशालय में भिजवाये जाते हैं, उस क्रम में निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त पदों के नियुक्ति अधिकारी प्रकरण शिक्षा निदेशालय नहीं भिजवाकर अपने स्तर पर आचरण सेवा नियम-1971 के नियम-17 में उल्लिखित बिन्दु संख्या-4 व राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक: प.9(5)(30)कार्मिक/क-3/ जाँच/2004 दिनांक 18.11.2006 में वर्णित निम्नांकित शर्तों के अंतर्गत अनुज्ञा जारी करेंगे-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - बीकानेर - 1 व 2020 ग 12

क्रमांक: 3318

दिनांक: 27.1.20

समस्त Records/संस्था प्रदान

(सूनित बाला कपिला)
संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) शिक्षा विभाग, जोधपुर

क्रमांक - जिशिअ/माधग/जोधा/सस्था-म/2016/ 2060

दिनांक - 01/2/16

समस्त

प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक

राउमावि / रावाउमावि / रामावि / राबामावि

..... जोधपुर।

शैक्षिक समाचार
राजस्थान


विषय - सार्वजनिक परीक्षा अनुमति हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा जारी सार्वजनिक परीक्षा अनुज्ञा एवं योग्यता अभिवृद्धि नियम दिनांक 16.06.1989 के अनुसार किसी कार्मिक को शैक्षणिक योग्यता अभिवृद्धि जिसके कारण अध्यापक की अध्यापन क्षमता में वृद्धि होती है तथा जिनमें किसी प्रकार की प्रायोगिक परीक्षा नहीं होती है, उन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

ऐसे प्रकरणों में प्रार्थी द्वारा केवल सस्था प्रधान को लिखित में सूचना मात्र देगा। सस्था प्रधान इसे स्वीकृत कर सेवाभिलेख में इन्द्राज करते हुए प्रार्थना पत्र कार्मिक की निजी पत्रिका में सधारित करेगा।

स्पष्ट नियमों में प्रावधान होने के उपरान्त भी अधिकतर सस्था प्रधानों द्वारा निरन्तर ऐसे प्रकरणों को स्वीकृति हेतु अग्रहित किये जा रहे। यह कृत्य विभागीय नियमों की अनदेखी करना है तथा अनावश्यक रूप से कार्मिकों के प्रकरणों को ललित रखने का द्योतक है।

अतः आप इस प्रकार के प्रकरण स्थानीय कार्यालय को प्रेषित नहीं करें।


जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक प्रथम)
शिक्षा विभाग जोधपुर

मे ०५
:: कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/एफ-3/13322/परीक्षा अनुज्ञा/2018/243 दिनांक-17/09/18


समस्त उपनिदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)

विषय:- सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के कम
में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किये जाते हैं।

उक्त के संबंध में लेख है कि पत्राचार या प्राइवेट अध्ययन करने के लिए नियंत्रण अधिकारी को सूचित करना आवश्यक है, इस कार्यालय स्तर से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में पत्राचार या प्राइवेट अध्ययन करने संबंधी प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित नहीं करें।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर

परिपत्र

विषय:- सार्वजनिक परीक्षा अनुज्ञा के सम्बन्ध में निर्देश।

इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक: शिविरा/प्रारं/संस्था/एफ-7/1285/99 दिनांक: 11-04-2000 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या: पं09(5)(30)कार्मिक/क-3/जांच/04 दिनांक: 18-11-2006 के क्रम में आवेदनों के त्वरित रूप से निस्तारण करने हेतु निम्नानुसार अधिकारियों को प्राधिकृत किया जाता है :-

क्र०स०	कार्य विवरण	प्राधिकृत अधिकारी
1	सार्वजनिक परीक्षा/लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने की अनुमति	द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के प्रकरण में सम्बन्धित उपनिदेशक एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के प्रकरण में सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी अधिकृत होंगे।
2.	पत्राचार द्वारा अध्ययन हेतु अनापत्ति/अनुमति	—उपरोक्तानुसार—

2

किन्तु उक्त में क्रमशः यदि कार्मिक का कहीं घयन होता है अथवा कोई व्यक्ति राज्य के बाहर नियमित अध्ययन करना चाहे तो उसकी स्वीकृति के लिये प्रकरण निदेशालय को भेजे। इस सम्बन्ध में पत्राचार द्वारा अध्ययन के लिये दो वर्ष का अन्तराल बाध्यकारी नहीं होगा। इसके अलावा इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक: शिविरा/प्रारं/संस्था/एफ-7/1285/99 दिनांक: 11-04-2000 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या: पं09(5)(30)कार्मिक/क-3/ जांच/04 दिनांक: 18-11-2006 की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,
राज० बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/प्रारं/संस्था/एफ-6/परीक्षा अनुज्ञा/विविध/06/35 दिनांक: 12-05-08

1. समस्त उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
3. समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
4. अनुभाग अधिकारी शिविरा अनुभाग 7 प्रति प्रकाशनार्थ
5. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
राज० बीकानेर

परिपत्र

विषय- सार्वजनिक परीक्षा अनुज्ञा एवं साक्षात्कार के सम्बन्ध में निर्देश।

इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक: शिविरा/प्रार/संस्था/एफ-7/1285/99 दिनांक: 11-04-2000 एवं परिपत्र क्रमांक: शिविरा/प्रार/संस्था/एफ-6/परीक्षा अनुज्ञा/विधि/06/35 दिनांक: 12.05.2008 के क्रम में प्रकरणों का त्वरित गति से निस्तारण किये जाने हेतु परिपत्र दिनांक: 11-04-2000 के बिन्दु सं० 15 में परीक्षा अनुज्ञा हेतु सक्षम अधिकारी के प्रदत्त अधिकारों में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार अधिकारियों को स्वीकृति/अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी अधिकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्य विवरण	प्राधिकृत अधिकारी
1.	समस्त प्रकार (राज्य में तथा राज्य से बाहर) की सार्वजनिक परीक्षा/लोक सेवा आयोग अथवा अन्य संस्था द्वारा आयोजित परीक्षा/साक्षात्कार की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु।	द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के प्रकरणों का निस्तारण हेतु सम्बन्धित उपनिदेशक प्रारम्भिक एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के प्रकरणों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक अधिकृत होंगे।
2.	समस्त प्रकार (राज्य में तथा राज्य से बाहर) के उच्च अध्ययन/प्रशिक्षण/शोध कार्य के प्रकरण नियमित अथवा पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमति हेतु।	उपरोक्तानुसार

सम्बन्धित अधिकारी इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक: शिविरा/प्रार/संस्था/एफ-7/1285/99 दिनांक: 11-04-2000, शासन उप सचिव प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राज० जयपुर के पत्र क्रमांक:प.6 (42) प्राशि/2005 दिनांक: 29.09.2005 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या: पं०9 (5)(30)कार्मिक/क-3/जांच/04 दिनांक: 18-11-2008 में उल्लेखित शर्तों से अध्यापीन स्वीकृति जारी करेंगे।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,
राज० बीकानेर।

क्रमांक: शिविरा/प्रार/संस्था/एफ-6/प.अनुज्ञा/विधि/06/60 दिनांक: 18-03-2013
प्रतिसिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,
3. अनुभाग अधिकारी शिविरा अनुभाग को 7 प्रति प्रकाशनार्थ।
4. रक्षित पत्रावली।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) पाली

क्रमांक: शिविपा/माध्य/संस्था-1/ए/2018/805

दिनांक : 17.04.2018

प्रेषित :-

समस्त संस्थाप्रधान,
राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय
जिला-पाली।

विषय :- सार्वजनिक प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने बाबत एन.ओ.सी.
प्रकरणों के सम्बंध में।

-0-

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि कतिपय प्रकरणों में यह ध्यान में आया है कि आपके द्वारा अधीनस्थ कार्यरत कार्मिकों के सार्वजनिक प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु परीक्षा में सम्मिलित होने के समय/आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के समय ही प्रकरण इस कार्यालय को भिजवाये जा रहे हैं।

अतः निर्देश जारी किये जाते हैं कि कार्मिक का चयन सम्बंधित प्रतियोगी परीक्षा में होने पर ही एन.ओ.सी. हेतु प्रकरण निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय को अग्रेषित किये जावे। परीक्षा में आवेदन किये जाने के समय केवल सम्बंधित संस्थाप्रधान को सूचित किया जाना ही आवश्यक है। संस्थाप्रधान को परीक्षा में सम्मिलित होने की अग्रिम सूचना नहीं दिये जाने की स्थिति में चयनोपरान्त अनापत्ति जारी नहीं की जावेगी।


जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) पाली

क्रमांक: शिविपा/माध्य/संस्था-1/ए/2018/806

दिनांक : 17.04.2018

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, पाली।


जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) पाली

सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने का आवेदन-पत्र

परिशिष्ट-अ

1. नाम कार्मिक :
2. वर्तमान पद मय विषय :
3. पदस्थापन स्थान :
(वर्तमान विद्यालय/कार्यालय का नाम जिसमें वर्तमान में कार्यरत है)
4. जन्म तिथि (सेवा पुस्तिका के अनुसार)
5. राजकीय सेवा में प्रथम अविच्छिन्न नियुक्ति की तिथि
6. नियुक्ति के समय का पद तथा वेतन श्रृंखला
7. वरिष्ठता का विवरण –
 - (1) (क) जिला/मण्डल/राज्य का नाम (जिसकी सूची में आपका नाम लिखा है)
 - (ख) वर्ण उदाहरणार्थ सामान्य शिक्षक (चित्रकला,शिल्प,शा.शि.इत्यादि)
 - (ग) वेतन श्रृंखला वरिष्ठता संख्या
- (2) यदि उसका नाम वरिष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं किया है तो उसकी प्रथम नियुक्ति से विभिन्न वेतन श्रृंखलाओं में उसकी अविच्छिन्न नियुक्ति का विवरण –

क्र.सं.	श्रृंखला का नाम	तिथि सहित अविच्छिन्न नियुक्ति के आदेश का हवाला	प्रत्येक पर कब से कार्य करने की अवधि	
			कब से	कब तक

8. वर्तमान अधिकतम योग्यताएँ –
 - (1) शैक्षिक योग्यता
 - (2) व्यावसायिक/प्रशैक्षिक योग्यता
9. आखिरी सार्वजनिक परीक्षा जिसमें सम्मिलित हुआ हो –
 - (अ) परीक्षा का नाम मय विषय व भाग
 - (ब) उत्तीर्ण वर्ष (स) परीक्षा परिणाम
 - (द) स्वीकृति देने वाले अधिकारी का नाम मय आदेश संख्या का संवर्ग (प्रति संलग्न करें)
.....

10. *सार्वजनिक परीक्षा जिसमें सम्मिलित होने की स्वीकृत चाही गई है का विवरण –

सार्वजनिक परीक्षा का नाम	परीक्षा लेने वाले बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्था का नाम	विषय जिसमें परीक्षा देना चाहता है	माह / वर्ष जिसमें परीक्षा होगी

11. सांयकालीन पत्राचार पाठ्यक्रम में होने के लिये –

- (क) पाठ्यक्रम का नाम
- (ख) संस्था का नाम
- (ग) संस्था में सांयकालीन पढाई के घंटे
- (घ) संस्था में अनिवार्य रूप से पढाई का विवरण यदि पत्राचार पाठ्यक्रम हो
- (ङ.) विषय जो लिये जावे

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त तथ्य सही है और मैंने कोई सम्बन्धित सूचना / तथ्य छिपाया नहीं है ।

*जिस परीक्षा हेतु आवेदन किया जा रहा है उसके विज्ञापन की प्रति, चालान की रसीद, आवेदन फार्म की प्रति संलग्न कर दी गई है ।

दिनांक

प्रार्थी की हस्ताक्षर

यह प्रमाणित किया जाता है कि –

1. प्रार्थी द्वारा उसके प्रार्थना पत्र में लिखे गये तथ्यों की उसकी व्यक्तिगत पंजिका और सेवा पुस्तिका से जाँच कर ली गई है और ठीक पाया गया है ।
2. उसके द्वारा पढाई जाने वाली कक्षाओं का परिणाम पूर्व सत्र में 60 प्रतिशत से कम नहीं है ।
3. उसका कार्य पूरी तरह से सन्तोषजनक रहा है ।

दिनांक

हस्ताक्षर
संस्था प्रधान मय मोहर

8. सार्वजनिक परीक्षा जिसमें सम्मिलित होने की रचीकृति चाही गई है।

1. सार्वजनिक परीक्षा नाम
2. परीक्षा देने वाले बोर्ड/विधि का नाम
3. विषय जिससे परीक्षा देना चाहता है।
4. सार्वजनिक परीक्षा होगी

9. सायकलीन पत्राचार पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने के लिये :-

- अ. पाठ्य क्रम का नाम.....
ब. संस्था का नाम.....
स. संस्था में सायकलीन पढाई के घण्टे
द. संस्था में अनिवार्य रूप से पढाई का विवरण
य. विषय जो लिये जावे।

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त तथ्य सही है और मेने कोई सन्दर्भ सूचना छिपाई नहीं है। (शाला/कार्यालय प्रधान की सिफारिश)

दिनांक:-

प्रार्थी के हस्ताक्षर

यह प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. प्रार्थी द्वारा उसके प्रार्थना पत्र में लिखे गये तथ्यो व्यक्तिगत पत्रिका और संद्यापुस्तिका से जाच की और ठीक पाया गया ।
2. उसके द्वारा पढाई जाने वाली कक्षाओं का परिणाम पूर्व सत्र मे 60 प्रतिशत से कम नहीं है।
3. उसका कार्य पूरी तरह से सन्तोषजनक रहा है।

हस्ताक्षर मन्त्र मन्त्र संस्था प्रधान

परिशिष्ट (अ)

सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन पत्र

1. नाम (स्पष्ट लिखिये).....

2. पद तथा संस्था / कार्यालय का नाम.....
(वर्तमान में कार्य का रहा है).....

3. जन्मतिथि (सेवा पुस्तिका के अनुसार).....

4. राजकीय सेवा में प्रथम अविच्छिन्न नियुक्ति तिथि
नियुक्ति के समय पद तथा वेतन श्रृंखला

5. वरिष्ठता का विवरण.....

(क) जिला / मण्डल / राज्य का नाम.....
(जिसकी सूची में आपका का नाम लिखा गया है)

(ख) वर्ण उदाहरण सामान्य शिक्षक
(चित्रकला शिल्प शारारिक प्रशिक्षण संगीत आदि)

(ग) वेतन श्रृंखला

(घ) वरिष्ठता सं०.....

2- यदि उसका नाम वरिष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है तो उसकी प्रथम नियुक्ति तिथि से विभिन्न वेतन श्रृंखला में उसकी विच्छिन्नता

नियुक्ति का विवरण.

तिथि सहित अविच्छिन्न नियुक्ति
से आदेश का हवाला

प्रत्येक पद इन में
कार्य करने की
अवधि
से तक

श्रृंखला का नाम

वर्तमान अधिकतम योग्यताये:-

6. योग्यता का नाम :-

(1) शैक्षिक.....

(2) व्यावसायिक

7. आखरी सार्वजनिक परीक्षा जिसमें सम्मिलित हुआ-

अ. परीक्षा का नाम मय विषय व नाम

ब. वर्ष

स. स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी के आदेश सं० का संवर्ग

द. परीक्षा का परिणाम

परिशिष्ट (अ)

सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रार्थना पत्र

1. नाम (स्पष्ट लिखिए) जगदीश कुमार उपाध्याय
 2. पद तथा संस्था / कार्यालय का नाम व. अध्यापक, रा. उ. मा. वि. तसवारिया
जिसमें वर्तमान में कार्य कर रहा है। हुरडा (भीलवाड़ा)
 3. जन्म तिथि (सेवा पुस्तिका के अनुसार) 12-02-1985
 4. राजकीय सेवा में प्रथम अविच्छिन्न नियुक्ति की तिथि 5-01-2013
 5. वरिष्ठता का विवरण
 1. (क) जिला / मण्डल / राज्य का नाम जिला - भीलवाड़ा, मंडल - अजमेर
जिसकी सूची में आपका नाम लिखा गया है।
 - (ख) वर्ण उदाहरणार्थ सामान्य शिक्षक
(चित्रकला शिल्प शारीरिक प्रशिक्षण संगीत आदि)
 - (ग) वेतन श्रृंखला 9300-34800 (L-11)
 - (घ) वरिष्ठता संख्या मंडल स्तरीय - 800, राज्य स्तरीय - 5405
2. यदि उसका नाम वरिष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है तो उसकी प्रथम नियुक्ति की तिथि से विभिन्न वेतन श्रृंखलाओं उसकी अविच्छिन्न नियुक्ति का विवरण।

श्रृंखला का नाम तिथि सहित अविच्छिन्न प्रत्येक पद कम में कार्य करने की अवधि
नियुक्ति के आदेश का से तक
हवाला

वेतन श्रृंखला	उनि.शि. मा. अज. / संख्या - 4 / फा. नियुक्ति / 2012-13 / 551 (1-26)	पद नाम - वरिष्ठ अध्यापक अवधि - 6 वर्ष 6 माह (दिनांक 5-01-13 से अनवरत कार्यरत हैं)
(L-11)	दिनांक 2-01-13	

वर्तमान अधिकतम योग्यताएँ :-

6. योग्यता का नाम
 - (1) शैक्षिक - B.Sc
 - (2) व्यवसायिक - B.Ed
7. आखिरी सार्वजनिक परीक्षा जिसमें सम्मिलित हुआ हो।
 - (अ) परीक्षा का नाम मय विषय व भाग M.Sc. भूगोल (पूर्वाह)
 - (ब) वर्ष 2018
 - (स) स्वीकृत देने वाले अधिकारी के आदेश संख्या का संदर्भ उनि.शि. मा. अज. श्रे. फा. 61/2020/
25.5.18
 - (द) परीक्षा का परिणाम - उत्तीर्ण
8. सार्वजनिक परीक्षा में जिसमें सम्मिलित होने की स्वीकृति चाही है। M.Sc. भूगोल (उत्तराह)

(2)

सार्वजनिक परीक्षा का नाम	परीक्षा लेने वाले बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	विषय जिनमे परीक्षा देना चाहता है	माह जिसमे परीक्षा होगी
M.Sc. भूगोल (उत्तराखण्ड) Final year	वर्धमान महावीर शुला विवि. (कोटा)	भूगोल	दिसंबर-2019

9. सांयकालीन / पत्राचार मे पाठ्यक्रम मे सम्मिलित होने के लिए
- (क) पाठ्यक्रम का नाम M.Sc भूगोल (उत्तराखण्ड)
- (ख) संस्था का नाम वर्धमान महावीर शुला विवि. (कोटा)
- (ग) संस्था में सांयकालीन पढ़ाई के घण्टे - Nil -
- (घ) संस्था मे अनिवार्य रूप से पढ़ाई का विवरण यदि पत्राचार पाठ्यक्रम हो। 10 दिवसीय अंशकालिक प्रायोगिक कक्षाये ।
- (ङ) विषय जो लिये जावे। (I) भारत का भूगोल (II) कृषि भूगोल (III) राजनीतिक भूगोल मे शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण सही है और मेने कोई सम्बन्धित सूचना छिपाई नही है। (शाला / कार्यालय प्रधान की सिफारिश) (IV) कृषि भूगोल

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि :-

जगदीश कुमार उपाध्याय
प्रार्थी के हस्ताक्षर
जगदीश कुमार उपाध्याय
पदनाम - व.अ. (गणित)

1. प्रार्थी द्वारा उसके प्रार्थना पत्र मे लिखे गये तथ्यो को उसकी व्यक्तिगत पंजिका और सेवा पुस्तिका से जांच की और ठीक पाया।
2. उनके द्वारा पढ़ाई जाने वाली कक्षाओ का परिणाम पूर्व सत्र मे 60 प्रतिशत कम नही है।
3. उसका कार्य पुरी तरह से संतोषजनक रहा है।

दिनांक

मु. लौक शि.अ.
इस

प्रधानाचार्य
रा.उ.मा.वि. तसवारिया
हस्तशुद्ध, बी.सि.वाहा
शाला / कार्यालय प्रधान